



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार 16 सितम्बर, 2006

आश्विन 25, 1928 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1148/सात-वि-1-01 (क) 23-2006

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2006

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय - एक

प्रारंभिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

(2) यह दिनांक 12 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय - दो

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1916 की धारा
9-क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(5) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से आरक्षित एवं आवंटित किये जायेंगे :-

(1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन-

(क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अलग-अलग एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या -

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(दो) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये और पिछड़े वर्गों के लिये अवधारित पदों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि पदों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(ग) राज्य के सभी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत वाले नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को क्रमांक-1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को क्रमांक-2 पर तथा शेष को क्रमशः इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उप खण्ड (ख) के अधीन राज्य के नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए अवधारित अध्यक्ष के पदों की संख्या राज्य के यथास्थिति विभिन्न नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि :-

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पद अनुसूचित जातियों को

उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक-1 पर रखे गये नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद, अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पद पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ड) यदि किसी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर—

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा,

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानो उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

(2) उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन —

नगर पालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पदों के आरक्षण व आवंटन के संबंध में उपधारा (5) के खण्ड (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे :

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अनधिक होगी :

प्रतिबंध यह भी है कि महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

प्रतिबंध यह भी है कि किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उसे यथास्थिति अगली नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का पद आरक्षित है, तो उस नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा :

परन्तु जिन नगर पालिका परिषदों में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिये आरक्षित हों, ऐसी नगर पालिका परिषदों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद यथास्थिति पिछड़े वर्गों, महिलाओं या अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित होंगे।

(3) आवंटन के आदेश—

(क) पूर्ववर्ती खण्डों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या का अवधारित करने के पश्चात्, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर पालिकाओं को आवंटित करेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट और सम्बन्धित नगर पालिका के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चस्पा किया जायेगा।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1959 की धारा
7 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 7 में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

(5) नगर निगम के महापौर एवं उपमहापौर के पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से होगा :—

(1) महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन—

(क) महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा :—

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या—

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस रीति से अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या

या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(दो) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये और पिछड़े वर्गों के लिये अवधारित पदों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि पदों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(ग) राज्य के सभी नगर निगमों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या के प्रतिशत वाले नगर निगम को क्रमांक-1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर निगम को क्रमांक-2 पर तथा शेष को क्रमशः इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उप खण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि :-

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक-1 पर रखे गये नगर निगम से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(दो) उप खण्ड (ख) मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उप खण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे :

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उप खण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ड) यदि किसी नगर निगम में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर -

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा ;

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानो उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चातवर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चातवर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

(2) उपमहापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन -

उपमहापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन के संबंध में उपधारा (5) के खण्ड (1) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अनधिक होगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक वाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें अगले नगर निगम को आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि किसी नगर निगम के महापौर का पद आरक्षित है तो उस नगर निगम के उपमहापौर का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा।

(3) आवंटन के आदेश-

(क) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या को अवधारित करने के पश्चात, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर निगमों को आवंटित करेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट और सम्बन्धित नगर निगम के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चस्पा किया

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 3 सन्
2006 उत्तर
प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 4 सन्
2006

4--(एक) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 और उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(दो) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित अध्याय-एक और दो में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6 फरवरी, 2006 में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 क की उपधारा (5) को अधिकारातीत कर दिया गया और उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 6 और 6-क को अवैध एवं अविधिमान्य कर दिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में यह विनिश्चय किया गया कि उक्त उपधारा (5) को संशोधित करके उक्त नियम 6 और 6-क के उपबन्धों को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित सम्मिलित किया जाय। चूंकि समान उपबन्ध, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा (7) की उपधारा (5) में और उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में विद्यमान थे अतः 1959 के उक्त अधिनियम में समान संशोधन करने का भी विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2006) और उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) प्रख्यापित किये गये।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1148/VII-V-1-1(ka)23-2006

Dated Lucknow, September 16, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Sthaneya Swayatta Shasan Vidhi (Sansodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 15, 2006.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS
(AMENDMENT) ACT, 2006

(U. P. Act no. 25 of 2006)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 12, 2006.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 2 of 1916

2. In section 9-A of Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 for sub-section (5) the following sub-section shall be substituted, namely :—

(5) The offices of President and Vice President of the Municipal Councils and Nagar Panchayat shall be reserved and allotted for the Schedule Castes, the Schedule Tribes and the Backward Classes and Women, in the manner given below :—

(1) Reservation and allotment of offices of the President

(a) the reservation and allotment of offices of the President under this sub-section, shall be done separately for the Municipal Councils and Nagar Panchayats in the manner hereinafter provided.

(b) The number of offices to be reserved—

(i) for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes or for the backward classes shall be determined in the manner that it shall bear, as nearly as may be, the same, proportion to the total number of offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the urban area of the State, or of the Scheduled Tribes in the urban area of the State, or of the backward classes in the urban area of the State bears to the total population of such area in the State and if in determining such number of offices, there comes a remainder then, if it is half or less than half of the divisor, it shall be ignored and if it is more than half of the divisor, the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be.

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty-seven percent of the total number of offices in the State;

(ii) for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward classes as the case may be, under sub-section (3) shall not be less than one third of the number of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for the backward classes and if in determining such number of offices there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall as the case may be the number of offices be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes ;

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty-seven percent of the total number of offices in the State;

(ii) for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward classes as the case may be, under sub-section (3) shall not be less than one third of the number of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for the backward classes and if in determining such number of offices there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall as the case may be the number of offices be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes.

(c) All Municipal Councils and Nagar Panchayats of the State shall be arranged in such serial order that the Municipal Councils or Nagar Panchayats having largest percentage of population of Schedule Castes in the State, shall be placed at serial number 1 and Municipal Councils or Nagar Panchayats having lesser population of the Scheduled Castes than those shall be placed at number 2 and the rest shall likewise be placed respectively at succeeding numbers.

(d) subject to item (ii) of sub-clause (b) the number of offices of the Presidents determined under sub-clause (b) for Municipal Councils or the Nagar Panchayats of the State shall be allotted to different Municipal Councils or Nagar Panchayats in the State, as the case may be, in the manner that—

(i) the number of offices determined under item (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Castes including the number of offices determined under item (ii) of the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to Scheduled Castes next to the municipal council or Nagar Panchayat placed at serial no. 1 under sub-clause (c) :

Provided that such Municipal Council or Nagar Panchayats shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes ;

(ii) the number of offices determined under item (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Tribes including the number of offices determined under item (ii) of the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Tribes be allotted to Scheduled Tribes serialwise next to the last serial allotted under item (i) ;

Provided that such Municipal Council or Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes.

(iii) the number of offices determined under item (i) of sub-clause (b), for the offices of backward classes including the number of offices determined under item (ii) of the said sub-clause for the women belonging to the backward classes shall be allotted to backward classes serial wise next to the last serial number allotted under item (ii) :

Provided that such Municipal Council or Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the backward classes.

(iv) the number of offices determined under item (ii) of sub-clause (b) excluding the officers determined under the said sub-clause for the women of Scheduled castes, Scheduled Tribes and backward classes shall be allotted to the women serialwise next to the last serial number allotted under items (iii) .

(e) If on the basis of the population of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in a Municipal Council or Nagar Panchayat.

(i) only one office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes as the case may be, such office shall be allotted to the women.

(ii) no office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes, the order of allotment of offices referred in sub-clause (d) shall be so adhered to as if there is no reference in it to the Scheduled Castes or to the Scheduled Tribes, as the case may be.

(f) the offices allotted in any previous election to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the subsequent election respectively to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the offices in such subsequent election shall be allotted serially from the next to the last office allotted to the women in the previous election in the order referred to in sub-clause (d) in cyclic order.

(2) Reservation and allotment of the offices of Vice President,-

For the reservation and allotment of offices of the Senior Vice President of Municipal Councils or the Vice President of Nagar Panchayats, the provisions of sub-clause (5) of clause (1) shall *mutatis mutandis* apply :

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty seven percent of the total number of unreserved offices of President in the State :

provided also that the number of offices to be reserved for the women shall not be less than one third of the total number of unreserved offices of President and if in determining such number of offices, there comes a remainder then the Quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for women : -

Provided also that offices allotted in any election to the women shall not be allotted to the women in the next following election and shall be allotted to the next Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be:

Provided also that if the office of the President of a municipal Council is reserved, the office of Vice President of that Municipal Council shall not be reserved:

Provided that where the offices of Senior Vice President in the Municipal Councils, are reserved for Scheduled Castes or backward classes or women, the office of Junior Vice President in such Municipal Councils the office of the junior most Vice President shall be reserved for backward classes, women or Scheduled Castes, as the case may be.

(3) Allotment order

(a) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses the State Government shall, determining, the number of offices to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and the women, by order published in the Gazette, allot the offices to the Municipalities.

(b) The draft of order under sub clause (a) shall be published for objections for a period of not less than seven days.

(c) the State Government shall consider the objections if any, but it shall not be necessary to hear in person on such objections unless the State Government considers it necessary so to do and thereupon it shall become final.

(d) The draft of order referred to in sub-clause (b) shall be published in atleast one daily newspaper having *wide* circulation in the concerned district and shall also be affixed on the notice board of the offices of the District Magistrate and the concerned Municipality.

CHAPTER—III

Amendment of the Uttar Pradesh Municipal corporation Act, 1959

3. In section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 for sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

Amendment of
section 7 of U. P.
Act no. 2 of 1959

(5) The offices of Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and women in the manner given below:—

(1) Reservation and allotment of offices of mayor:—

(a) The reservation and allotment of offices of the Mayor shall be done in the manner hereinafter provided.

(b) The number of offices to be reserved—

(i) for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes or for the backward classes shall be determined in the manner that it shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of offices in the state as the population of the Scheduled Castes in the urban area of the State, or of the Scheduled Tribes in the urban area of the State, or of the backward classes in the urban area of the State bears to the total population of such area in the State and if in determining such number of offices there comes a remainder then, if it is half or less than half of the divisor, it shall be ignored and if it is more than half of the divisor, the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of office to be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be:

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty-seven per cent of the total number of offices in the State;

(ii) for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward classes as the case may be, under sub-section (3) shall not be less than one third of the number of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for the backward classes, and if in determining such number of offices there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall, as the case may be, be the number of offices to be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes.

(c) All Municipal corporation of the State shall be arranged in such serial order that the Municipal Corporations having largest percentage of population of Scheduled Castes in the State, shall be placed at serial number 1 and Municipal Corporations having lesser population of the Scheduled Castes than those shall be placed at serial number 2 and the rest shall likewise be placed respectively at succeeding numbers and like wise the remaining shall be numbered respectively.

(d) subject to item (ii) of sub clause (b) the number of offices of the Mayor determined under sub clause (b) for Municipal Corporations of the State, shall be allotted to different Municipal Corporations in the State, as the case may be, in the manner that,—

(i) the number of offices determined under item (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Castes including the number of offices determined under item (ii) of the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to Scheduled Castes serialwise next to the Municipal Corporations placed at serial no. 1 onward under sub-clause (c):

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes ;

(ii) the number of offices determined under item (ii) of sub clause (b) for the offices of Scheduled Tribes including the number of offices determined under item (ii) of the said sub clause for the women belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to Scheduled Tribes serialwise next to the last serial allotted under item (i):

Provided that such Municipal Corporation shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes.

(iii) the number of offices determined under item (i) of sub clause (b), for the offices of backward classes including the number of offices determined under item (ii) of the said sub clause for the women belonging to the backward classes shall be allotted to backward classes serialwise next to the last serial number allotted under item (ii) :

Provided that such Municipal Corporation shall be first allotted to the women belonging to the backward classes;

(iv) the number of offices determined under item (ii) of sub section (b) excluding the offices determined under the said sub-clause for the women of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes shall be allotted to the women serial wise next to the last serial number allotted under item (iii).

(e) If on the basis of the population of Scheduled Castes or Scheduled tribes in a Municipal Corporation.

(i) only one office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes as the case may be, such office shall be allotted to the women ;

(ii) no office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes, the order of allotment of offices referred in sub-clause (d) shall be so adhered to as if there is no reference in it to the Scheduled Castes or to the Scheduled Tribes, as the case may be.

(f) the offices allotted in any previous election to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the subsequent election respectively to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the offices in such subsequent election shall be allotted serially from the next to the last office allotted to the women in the previous election in the order referred to in sub-clause (d) in cyclic order.

(2) Reservation and allotment of the offices of Deputy Mayor,—

For the reservation and allotment of office of the Deputy Mayor of Municipal Corporations, the provisions of sub-clause (5) of clause (i) shall *mutatis mutandis* apply:

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty seven percent of the total number of unreserved offices of Mayor in the State:

Provided also that the number of offices to be reserved for the women shall not be less than one third of the total number of unreserved offices of Mayor and if in determining such number of offices, there comes a remainder than the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for women:

Provided also that the offices allotted to any election in any election to the women shall not be allotted to the women in the next following election and shall be allotted to the next Municipal Corporation, as the case may be:

Provided also that if the office of the Mayor of a Municipal Corporation is reserved, the office of Deputy Mayor of that Municipal Corporation shall not be reserved.

(3) Allotment order,—

(a) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the State Government shall, after determining the number of offices to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes and the women, by order published in the *Gazette*, allot the offices to the Municipal Corporations.

(b) The draft of order under sub-clause (a) shall be published for objections for a period of not less than seven days.

(c) The State Government shall consider the objections if any, but it shall not be necessary to hear in person on such objections unless the State Government consider it necessary so to do and thereupon it shall become final.

(d) The draft of order referred to in sub-clause (b) shall be published in at least one daily newspaper having wide circulation in the concerned district and shall also be affixed on the notice board of the offices of the District Magistrate and the concerned Municipal Corporation.

4. (1) The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 are hereby repealed.

Repeal and
Saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts referred to in chapter I and II as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (5) of section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 was held ultra-virous and rules 6 and 6-A of the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) rules, 1994 were held illegal and invalid by the Hon'ble High Court in its judgement dated February 6, 2006. In the light of the said judgement it was decided to amend the said sub-section (5) to include *mutatis mutandis* the provisions of the said rules 6 and 6-A. As similar provisions were existed in sub-section (5) of section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 and in the Uttar Pradesh Municipal Corporations (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994, it was also decided to make similar amendment in the said Act of 1959.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary, the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 3 of 2006) and the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 4 of 2006) were promulgated by the Governor on July 12, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinances.

By order,
R. M. CHAUHAN,
Pramukh Sachiv.